सुनो कहानी मनफर की

प्रेमभाई

सर्व सेवा संघ
राजघाट वाराणसी

प्रकाशक : मन्त्री, सर्व सेवा संघ,
राजघाट, वाराणसी

संस्करण : पहला

प्रतियाँ : १,०००; अप्रैल, १९६७

मुद्रक : अमलकुमार बसु,
इण्डियन प्रेस (प्रा० लि०),
वाराणसी

मूल्य : एक रुपया

Title SUNO KAHANI MANFARKED
Author : Prembhai
Subject : Gramdan
Publisher : Secretary,
Sarva Seva Sangh,
Rajghat, Varanasi
Edition : First
Copies : 1,000; April, 1967
Price : Re. 1 00

प्रकाशकीय

मनफर बिहार का पहला ग्रामदानी गाँव है। यह ग्रामदान सन् १९५३ में हुआ। इस बात को अब १४ वर्ष हो गये हैं। इस बीच बिहार में ग्रामदान-आन्दोलन काफी ऊँचाई पर पहुँच गया और अब तो जिलादान भी हो गया है।

मनफर गाँव छोटा-सा है, आदिवासियों का है, पहाड़ियों के बीच है। ऐसे गाँव गरीबी की गाथाओं से भरे होते हैं, हजारों वर्षों से यही बात चली आयी है।

लेकिन ग्रामदान-आन्दोलन ने हवा बदल दी है, संस्कार बदल दिये हैं, रहन-सहन के, रीति-रिवाज के, खान-पान के, काम-धन्धे के तौर-तरीके बदल दिये हैं।

मनफर ने पिछले १३-१४ वर्षों में बहुत ऊँची मंजिल तय नहीं की है, लेकिन उपलब्ध साधन-सुविधाओं के आधार पर जो कुछ वहाँ हो सका है, वह देखने-समझने की चीज अवश्य है।

श्री प्रेमभाई ने वहाँ की प्रगति का आँखोंदेखा हाल इस पुस्तक में प्रस्तुत किया है। श्री प्रेमभाई ने सरल, सरस भाषा में, संक्षेप में आवश्यक जानकारी देकर अन्य ग्रामों के लिए मार्गदर्शक पुस्तिका भेंट की है।

हम चाहते हैं कि विभिन्न ग्रामदानी गाँवों के निर्माण-विकास और प्रगति का चित्र इसी तरह प्रस्तुत किया जाय।

अनुक्रम

परिशिष्ट

पश्चिम मे भँवरिया पहाडी, दक्षिण मे गोवर्धन पहाड, उत्तर मे बिघी गाव और पूरब मे गुलडवेद, जिनके बीच में बसा है मनफर गाँव। गाव के पश्चिम-दक्षिण पहाडियो की एक श्रृङ्खला चली गयी है और पूरब की ओर गुलडवेद गाँव से लगी हुई एक छोटी-सी नदी वह रही है। इन सबने मनफर गाँव को सहज प्राकृतिक सौन्दर्य प्रदान किया है। गया जिले के दक्षिणी किनारे पर लगभग मध्य मे ग्रैण्ड ट्रंक रोड पर वाराचट्टी थाना स्थित है। थाना तो यहा बहुत पहले से ही है। डाकघर, बस-स्टाप भी यहाँ है। विकास-प्रखण्ड भी यहाँ स्थापित हुआ है। सडक के दोनो ओर छोटा-मोटा बाजार बन गया है। इस प्रकार वाराचट्टी धीरे-धीरे एक कसबे का रूप ले रहा है। इस स्थान से लगभग ४ मील दूर दक्षिण को ओर मनफर गाँव है। उससे थोडा और आगे जाने पर पहाडियो के उस पार हजारीबाग जिला शुरू हो जाता है। इस प्रकार मनफर गया और हजारीबाग जिलो के सीमा-क्षेत्र में स्थित है।

जगल और पहाडियों के मध्य इस क्षेत्र में आदिवासी और अहीर लोग बसते है। मनफर एक छोटा-सा गाँव है।

पूरे रिवेन्यू गाँव का एक टोला कहे तो ज्यादा ठीक होगा। करीव ३३ परिवार हैं, जिनमे से २८ भोक्ता परिवार और ५ भुइयाँ परिवार हे। ये सब आदिवासी हरिजन लोग हैं। वहुत ही पिछडा हुआ इलाका है। जमीन जगली और ऊबड खावड है। जमीदारी मिटने के वाद भी अभी हाल तक जमीदारो का अत्याचार मनमाने रूप मे यहाँ प्रकट होता रहता था। जमीदार के गुमाश्ता तथा पटवारी अनपढ तथा गरीव लोगो से मनमानी बेगार करवाते और खाने के लिए उनकी मुर्गियाँ, जानवर आदि पकडकर ले जाते थे। इन लोगो को लकडी का कोयला वनाकर सिर पर रख ५० मील पैदल चलकर जमीदार के घर तक पहुँचाना पडना था। एक तरफ लोग गरीवी की चक्की मे पिस रहे थे और दूसरी तरफ जमीदार की वेगार भी ढोनी पडती थी।

सन् १९५३ की वात है। इस क्षेत्र मे सर्वोदय-कार्यकर्ताओ की एक टोली भूदान माँगने के लिए घूम रही थी। थान के भूदान सयोजक श्री दिवाकरजी, स्थानीय प्रजा-समाजवादी दल के प्रमुख कार्यकर्ता श्री श्रीधरनारायणजी तथा अन्य एक दो कार्यकर्ता मनफर गाव पहुँचे। गरीवो का गाव, थोडी थोडी जमीन, भूदान यहाँ क्या मिलता ? लोगो ने अपनी गरीवी की कहानी जमीदार के अत्याचार की

कहानी के साथ मिला-जुलाकर सुनानी शुरू कर दी। प्रकट था कि भूदान से उनकी समस्या सुलझ नही सकती थी। तब सर्वोदय-कार्यकर्ताओ ने उन्हे ग्रामदान की महिमा बतायी। जमीदार के अत्याचारो से मुक्ति पाना हो, महाजन और पुलिस के शोषण से छुटकारा पाना हो और अपनी गरीबी से लडना हो तो उसका एक ही रास्ता है। ग्राम-संगठन। ग्रामदान।

जिस प्रकार सूत का एक धागा आसानी से टूट जाता है, लेकिन उसी सूत के अनेक धागो को मिलाकर एक ऐसी मजबूत रस्सी बन जाती है, जो आसानी से नही टूट सकती। अकेले धागे में एक छोटे-से वजन को भी उठाने की शक्ति नही होती, लेकिन उन्ही कमजोर धागो से सगठित रस्सी बडे-से-बडे बोझ को बाधकर उठा सकती है। उसी प्रकार अकेला मनुष्य गरीबी का बोझ नही उठा सकता। लेकिन उन्ही कमजोर मनुष्यो का सगठन गरीबी को ही जट-मूल से मिटा सकता है। अकेले मनुष्य म अत्याचार के खिलाफ खडे होने की शक्ति नही होती, लेकिन अनेक मनुष्यो का ठोस सगठन बडे-से-बडे अत्याचार का सामना हँसी-खुशी कर सकता है। ग्रामदान का मतलब है, व्यक्तिवाद का दान और ग्राम-ऐक्य का स्थापन। गाव के सब लोगो का सगठन। गाँव मे कोई अकेला गरीब न रहे। सब मिलकर मजबूत

दुख-सुख बाँटकर चलें। किसी एक पर अत्याचार हो तो सब मिलकर उसका मुकाबला करें। गाँव में सुख-सम्पन्नता-शान्ति लाने के लिए सब मिल-जुलकर कठिन मेहनत करें। यह है ग्रामदान का विचार।

कोई भूमिहीन न रहे

गाँव में एक व्यक्ति भूमिहीन रहेगा, दूसरा व्यक्ति मजे से पेट भरेगा और अपने व्यसन भी पूरे करेगा। एक व्यक्ति भूमिहीन रहेगा और दूसरा व्यक्ति इतनी जमीन रखेगा कि उसको ठीक से जोत भी न पाये। तब तक गाँव में संगठन नहीं हो सकता और न गाँव में शान्ति रह सकती है। वास्तव में गाँव में जितने झगड़े होते हैं, उनमें से अधिकतर जमीन की मालिकी की वजह से होते हैं। मेरी इतनी जमीन उसने ले ली। उसने मेरी मेंड़ काट डाली आदि छोटी-छोटी बातों पर झगड़े होते रहते है। ये ही झगड़े कचहरी में जाकर भयंकर रूप ले लेते हैं। इन सब झगड़ों को मिटाना हो तो सब लोग अपनी-अपनी मालिकी गाँव-सभा को दान कर दे। हर किसान को धरतीमाता की सेवा करने का अधिकार है, प्रत्येक भूमिहीन-परिवार को जोतने के लिए जमीन मिले। गाँव में कोई भूमिहीन न रहे—यह ग्रामदान का पहला विचार है। मिल्कियत गाँव की और जोत किसान की,

इस समान भूमिका पर सब खडे होगे तो गाँव मे भाई-चारा बनेगा ।

गाँव मे भाईचारा तो हुआ, फिर भी कभी-कभी झगडे तो होगे ही । लेकिन गाँव के झगडे गाँव के बाहर नही ले जायेंगे । गाँव का एक परिवार बनाना है, सगठन मजबूत करना है, इसलिए ग्रामदान की दूसरी शर्त यह है कि गाव के सभी झगडे गाँव में सुलझाये जायेगे । कचहरी मे गाँव का धन और गाँव की इज्जत नही लुटायेगे ।

गाव का कारोबार ठीक से चले, एक मति से चले, इसलिए गाँव के प्रत्येक बालिग व्यक्ति को मिलाकर एक ग्रामसभा बनायेगे । यह ग्रामसभा सर्वसम्मति से गाँव की तरक्की के लिए, खुशहाली के लिए योजना बनायेगी । गाँव की जमीन की मेडाबदी करनी है, नाला बाँधना है, गाँव मे कुएँ खोदने हैं, इस प्रकार के सब निर्णय मिलकर लेंगे और सब मिलकर काम करेंगे । एक तरफ गाँव का उत्पादन बढाने के लिए और दूसरी ओर सब लोगो को रोजगार देने के लिए यह ग्रामसभा योजना बनायेगी । गाव मे कोई बिना काम के न रहे, कोई भूखा न रहे, कोई भूमिहीन न रहे, इसकी व्यवस्था करेगी ।

ग्रामसभा गाँव का काम चला सके—इसके लिए उसके हाथ मे कुछ पैसा रहना चाहिए । इसलिए गाँव मे एक

'धर्मगोला' की स्थापना की जायगी। इस कोष में सब परिवार अपने उत्पादन का या अपनी आमद का चालीसवां भाग जमा करेंगे। यह ग्रामदान-विचार की चौथी बात है। यदि इन चारो बातों का आप लोग पालन करेंगे तो आप अपने दु.ख दूर करने में अवश्य सफल होंगे, यह विचार गाँववालों को समझाया गया। ग्रामदान का विचार लोगों के लिए नया था, लेकिन बिना संगठन किये न तो कुएँ बाँधे जा सकते है, न तो जमीन तोड़ी जा सकती है, न तो धान के खेत बनाये जा सकते हैं और गरीबी से छुटकारा पाना भी अकेले आदमी के लिए असंभव ही है। संगठन होगा तो जमीदार के अन्याचार से मुक्ति मिलेगी और शोषणकर्ताओं से भी लड़ा जा सकेगा, यह बात गाँववालों को बखूबी समझ मे आ गयी और इस प्रकार दिसम्बर १९५३ में मनफर का ग्रामदान हो गया। स्वामित्व से ये लोग चिपटे नही थे और अपना स्वामित्व जमीन से समाप्त करके गाँव का स्वामित्व बनाने में उनको कोई कठिनाई नही हुई। यह पूर्ण ग्रामदान था, सुलभ ग्रामदान नही।

मनफर गाँव ने ग्रामदान की घोषणा की, इसके तुरंत बाद ही क्षेत्रीय नेताओ और सर्वोदय-कार्यकर्ताओं का ध्यान मनफर की ओर आकर्षित हुआ। श्री दामोदरदास मूँदड़ा ने प्रयत्न करके एक छोटे-से आश्रम की स्थापना वहाँ

करवायी। एक सर्वोदय-कार्यकर्त्ता और दो कस्तूरबा ग्राम-सेविकाओ को नियुक्त किया गया। ये लोग गाववालो के सामूहिक अभिक्रम को जगाने मे मदद करे और सामूहिक शक्ति द्वारा गाँव के विकास का संयोजन करे, ऐसी अपेक्षा रखी गयी।

'सबै भूमि गोपाल की' यह नारा गाँव मे गूँजने लगा। जमीन गाँव की है और प्रत्येक व्यक्ति को जोतने का समान अधिकार है, यह बात समझकर २६ जून, १६५४ को प्रत्येक आदमी को बराबर-बराबर जमीन बाँटकर दी गयी। गाव के लोगो की १५२ एकड २६ डिसमल जमीन थी। हिसुवा स्टेट के जमींदार ने अन्य ४० एकड ६७ डिसमल जमीन भूदान मे दी थी। इस सब जमीन को गाँववालो में प्रतिव्यक्ति के अनुसार बराबर-बराबर बाँट दिया गया। जिस परिवार में ज्यादा व्यक्ति थे, उसको ज्यादा जमीन मिली। जिसमे कम सदस्य थे, उसको कम मिली। मेघनसिंह के पास सबसे ज्यादा जमीन थी। उनके पास १५ एकड के बदले सिर्फ ४॥ एकड रह गयी। चमारीसिंह के पास १० एकड थी। उनको २ एकड मिली। इसके विपरीत एक भूमिहीन-परिवार को, जिसमे अधिक व्यक्ति थे, ५ एकड जमीन मिल गयी और यह सब चमत्कार बिना किसी झगडे टटे के हो गया।

इस बँटवारे में एक और ध्यान रखा गया है। गरीबों को खराब जमीन और बड़े किसानों को अच्छी जमीन, ऐसा नहीं किया गया है। जमीन को उसकी किस्म के अनुसार चार भागों में बाँटा गया है। इस प्रकार जमीन की चकबंदी हुई है और प्रत्येक परिवार को प्रत्येक चक में से यानी सिर्फ चार टुकड़ों में जमीन मिली है।

गाव की जनसंख्या करीब १६६ थी और लगभग १६६ एकड़ जमीन व्यक्तिगत रूप से काश्त करने के लिए परिवारों को बाँट दी गयी। २२ एकड़ १६ डिसमल जमीन सामूहिक खेती के लिए रखी गयी। ३ एकड़ ६६ डिसमल जमीन आश्रम के लिए दी गयी। प्रतिव्यक्ति करीब १ एकड़ जमीन आयी। गाँव की असमानता मिट गयी और गाँव में एक दृढ़ भाईचारे की स्थापना हुई। भूमि-पुनर्वितरण की रस्म तत्कालीन राजस्वमन्त्री श्री कृष्णवल्लभ सहाय के हाथों द्वारा की गयी। श्री सहाय ने इस अवसर पर जंगली जानवरों से अपनी फसल की रक्षा के लिए एक बंदूक भी गाँववालों को भेंट में दी और इस प्रकार मनफर गाँव ग्राम-स्वराज्य की दिशा में बढ़ने लगा। हम आगे जो लिखने जा रहे हैं, वह ग्रामदान के बाद मनफर गाँव के विकास की ११-१२ वर्ष लम्बी कहानी है।

हम पहले ही लिख आये हैं कि मनफर की जमीन रेतीली तथा ऊबड़-खाबड़ ही अधिक थी। सन् १९५३ के पहले पाँच-सात एकड़ जमीन ही धनहर थी, जो एक-दो परिवारों के पास थी। बाकी जमीन एक फसली भीट और टांड थी। यह जमीन गाँववालो को सिर्फ चार महीने ही खाने का अनाज दे पाती थी।

ग्रामदान हुआ, तब ग्राम के सभी बालिग व्यक्तियो को मिलाकर एक ग्रामसभा बनी। इस सभा ने गाँव की भलाई के बारे मे सोचना शुरू किया। ४ महीने के लिए पैदा करनेवाली धरती से १२ महीने का अनाज क्योंकर पैदा हो? गाँव मे हरएक परिवार की खुशहाली कैसे बढ़े? इस प्रकार के अनेक प्रश्न सामने आकर खड़े होने लगे। इस प्रकार के प्रश्नो की चर्चा करने और उनका हल खोजने मे सर्वोदय-कार्यकर्ता गाँववालो की मदद करने लगे। बहुत जल्दी ही गाँववालो को यह समझ मे आ गया कि पैदावार बढ़ाने के लिए सबसे पहले जमीन की सिंचाई का इंतजाम जरूरी है। भूमि समतल करके, जमीन की मेड़बन्दी करके अधिक-से-अधिक जमीन धनहर बनानी पड़ेगी और इसके

लिए सबको मिल-जुलकर कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। समय का तकाजा था और गाँव में जोश था। सभी लोग कमर कसकर गरीबी से लड़ने के लिए, मेहनत करने के लिए तैयार हो गये और तब कुएँ खोदना, तालाब बनाना, नाले पर बाँध डालना, जमीन समतल करना और इस प्रकार के अनेक कामों का एक सिलसिला और सामूहिक श्रम की एक सतत धारा ही गाँव में बहने लगी।

कुओं की खुदाई

ग्रामदान के पूर्व सिंचाई की कोई व्यवस्था गाँव में नहीं थी। सिंचाई के लिए तो क्या, पीने के लिए भी कोई कुआँ नहीं था। नाले के नजदीक एक कच्चा कुआँ था, जो बरसात में गली के गंदे पानी से भरकर गंदगी से एकरूप हो जाता था और फिर भी मजबूरन् इसी अपेय जल-कूप का पानी गाँववालों को पीना पड़ता था। ग्रामसभा ने गाँव में कुछ कुएँ खोदने का तय किया और सन् १९५६ तक गाँव में ४ कुएँ खोद डाले गये। खोदने का सारा काम गाँववालों ने सामूहिक श्रमदान से किया। इस श्रम की कीमत रुपयों में लगायी जाय तो करीब २,००० रु० होगी। कुएँ तो खोद लिये, लेकिन उनको बाँधने के लिए गाँव के पास पैसा नहीं था और तब इन कुओं को पक्का बाँधने के लिए

सर्व सेवा सघ की ओर से २,००० रुपये की मदद दी गयी। अगले दो वर्षो मे और दो कुएँ गाँववालो ने खोदे। उन्हे बाँधने के लिए मदद-स्वरूप गाधी निधि ने १,००० रुपये दिये। सन् १९६२-६३ मे और दो कुएँ खोदे गये, जिनको बाँधने के लिए विकास-प्रखण्ड ने ६०० रुपये का अनुदान दिया। उसके बाद पिछले दो-तीन वर्षो मे और दो कुएँ गाववालो ने खोदकर तैयार कर लिये हैं। ये कुएँ अभी पक्के नही बँधे हे। ये कुएँ बँध जायेगे, तो गाँववाले और नये कुएँ खोदना शुरू कर देगे। और यह सब देखकर आशा होती है कि कुओ को खोदने की यह शृह्खला तब तक चलती रहेगी, जब तक गाँव की एक एकड भी भूमि असिचित रहेगी।

सिंचाई के लिए बाँध

ऊपर सिर्फ कुओ की कहानी लिखी गयी है। सिंचाई का प्रबध करने के लिए कुछ अन्य प्रयत्न भी गाववालो ने और सरकार ने किये है। हम लिख चुके हे कि गाँव के दक्षिण पूर्व मे पहाडियो की एक शृह्खला चली गयी है। वर्षाकाल मे इन पर गिरनेवाला पानी तेज गति से बहकर मैदान की भूमि का कटाव करता हुआ, मिट्टी के साथ मिलकर नालो और नदियो मे बहकर बेकार चला जाता था।

सन् १९५५ में सरकार ने इस जगह एक आहर बाँधने की योजना स्वीकार की। पहाड़ी से थोड़ी दूर हटकर उसकी तलहटी में एक बाँध बाँधा गया। इस पर काम करने की कुल लागत करीब ३,४०० रुपये हुई।

पास में बहनेवाले एक छोटे नाले पर बाँध डालकर उसका पानी भी इस आहर मे ले आया गया। इससे पानी का संचय और बढ़ गया। इस नाले को बाँधने का खर्च करीब ६५० रुपये हुआ।

तालाब बनने के बाद भी और नाले का पानी उसमें ले आने के बाद भी सिंचाई के लिए काफी सुविधा गाँव में न हो पायी। तब गाँववालों ने सोचा कि पास में जो छोटी नदी बह रही है, उसी पर यदि बाँध डाला जाय और जरूरतभर पानी तालाब मे लेकर बाकी पानी वापस नदी में छोड़ दिया जाय, तो सिंचाई की समस्या काफी हद तक सुलझ सकेगी। क्षेत्रीय अधिकारियों ने इस योजना के लिए विशेष उत्साह न दिखाया। तो भी गाँव के उत्साह को देखते हुए कार्यकर्ताओं ने गाँव के सामूहिक श्रम के भरोसे पर ही नदी पर बाँध डालने को योजना मंजूर कर ली। गाँव-सभा का प्रस्ताव किया गया और दो वर्ष लगातार गाँव के हर परिवार ने इस काम के लिए श्रमदान किया। सन् १९६० और १९६१ मे बाँध के लिए मिट्टी

डाली जाती रही और आखिर मे लगभग तीन-चार हजार रुपये की कीमत का एक बाँध तैयार हो गया। दो साल तक इस बाँध की मरम्मत करते रहे और सिंचाई के लिए पानी का उपयोग करते रहे। सन् १९६३ में भयंकर वर्षा हुई, कच्चा बाध पानी का बोझ न सँभाल सका और टूट गया। इसके बाद अगले वर्ष फिर से गाववालो ने बाँध को मरम्मत करने का, सुधारने का जो प्रयत्न किया, वह सफल न हो सका और बाँध फिर से टूट गया। काफी प्रयत्न के

गाँव के नाले पर पक्का बाँध

बाद गत वर्ष सरकार ने इस बाँध के मुख्य भाग को सीमेन्ट और कंकरीट के साथ बाँधने की योजना मंजूर कर ली और ४,७०० रुपये की लागत से पत्थर-सीमेन्ट-कंकरीट का पक्का बाँध बना दिया गया। इसमें से आधा खर्च सरकार ने और आधा खर्च गाधी निधि ने अनुदान के रूप में दिया। इस बाँध का काम इस वर्ष पूरा हो गया है। इस बाँध के द्वारा संकलित पूरे पानी का उपयोग होने लगेगा तो गाँव मे सिंचाई की समस्या काफी हद तक हल हो जायगी।

इन बाँधो के अलावा व्यक्तिगत प्रयत्न द्वारा कुछ छोटे-छोटे बाँध भी लोगो ने बनाये है। इस प्रकार के पाच बाँध, जिनकी लागत कम-से-कम २,००० रुपये होगी, अपने श्रम के भरोसे पर ही किसानो ने तैयार किये है।

जमीन को समतल बनाने का कार्य

तालाबो से सिंचाई की सुविधा तभी हो सकती है, जब जमीन की मेडाबन्दी करके उसको समतल बना लिया जाय। धान की खेती करने के लिए तो जमीन को समतल बनाना और भी आवश्यक है। पिछले १० वर्षो में अपनी शक्तिभर प्रयत्न करके अधिक-से-अधिक जमीन की मेडाबंदी करके समतल बनाने का काम गाववालो ने किया है और

इस बीच लगभग ३४ एकड जमीन धनहर बना ली गयी है। काफी भूमि का सुधार हुआ है और गांव का उत्पादन भी वढ़ा है और २५ एकड़ जमीन की गेडावंदी की गयी है, जो शीघ्र ही धनहर वन जायगी। लेकिन ८३ एकड़ जमीन अभी भी टॉड है। और जव तक यह सव जमीन वंडिग करके, समतल वनाकर सिंचाई मे नही ले आयी जायगी, तव तक गाँव स्वावलम्वी नही वन सकेगा। काफी प्रयत्न करने के वाद इस वर्ष सरकार ने गाँव की सारी जमोन की गेड़ावंदी करने की योजना मंजूर कर ली है और उस काम का ठीका भी ग्रामसभा को ही दे दिया है। कुल २२,००० रु० काम का ठीका दिया गया है। इस वर्ष काम देर मे शुरु हुआ और सिर्फ २५ एकड़ जमीन की गेड़ावंदी हो पायी। अगले वर्ष संपूर्ण जमीन को गेड़ावंदी हो जायगी, ऐसा विश्वास है।

जव गांव की संपूर्ण जमीन की गेड़ावंदी हो जायगी तो अधिकतर जमीन को पानी की सुविधा मिल सकेगा। फिर भी कुछ ऊँची जमीन ऐसी रह जायगी, जहाँ पर वांध का पानी नही चढ़ाया जा सकेगा। ऐसी जमीनों पर सिंचाई के प्रवंध के लिए कुछ नये कुएँ वनाने होंगे और यह वात गांववालो के ध्यान में आयी है।

कुओं से पानी निकालने के लिए अभी लाठे (ढेकुली)

का ही उपयोग हो रहा है। दिनभर लाठा चलाने से सात-आठ डिसमल जमीन को पटाया जा सकता है और इस प्रकार यह सवाल सामने आया है कि सिर्फ कुओं खोद लेने से ही सिंचाई की समस्या हल नही होगी। कुओं से लाठे द्वारा ही पानी निकालना हो तो गाँव की श्रम-शक्ति भी पूरी नही पड़ेगी। प्रयोग के तौर पर पिछले वर्ष ५ हॉर्स पावर का एक इंजन-पंप गाँववालों को दिया गया है। इस इंजन से कुछ नयी समस्याएँ पैदा हो गयी हैं। कुएँ छोटे-छोटे हैं। उनमें पानी इंजन के लिए बहुत कम है। सिर्फ आधा घंटा इंजन चलाने से कुएँ का पानी सूख जाता है, यह एक समस्या है। एक इंजन को एक कुएँ से दूसरे कुएँ पर, दूसरे से तीसरे कुएँ पर और इस प्रकार आठ-दस कुओं पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन मशीन चलाने के लिए जो कुशलता होनी चाहिए, वह गाँव में उपलब्ध नही है। पिछले वर्ष मशीन में थोड़ी-सी खराबी आ गयी और वह बेकार पड़ी रही। जब तक इंजन की छोटी-मोटी दुरुस्ती का काम गाँव का ही एक आदमी सीख नही लेता, तब तक इस प्रकार के साधन असफल ही रहनेवाले हैं। गाँववालों के ध्यान में दो बातें लायी गयी है— एक तो पंप से सिंचाई करना हो तो कुओं को गहरा करना पड़ेगा, ताकि उनमे पानी का खजाना बढ़ सके और दूसरी

तरफ गाव के किसी भी आदमी को जाकर किसी वर्कशाप मे रहकर इजन-दुरुस्ती का काम सीख लेना होगा। ये दोनो बाते ग्रामीणो की समझ मे आ गयी है। लेकिन इस दिशा मे अभी तक विशेष प्रयत्न नही हुआ है। •

ढाईगुना पैदावार : ३ :

भूमि-सुधार होने से और सिचाई-व्यवस्था बढने से गाँव की पैदावार दस वर्ष के अन्दर ढाईगुना बढ गयी है।

कुएँ से सिचाई करते हुए

ग्रामदान के पहले गाँव की मुख्य फसले मक्ई, अरहर और

तीसी (अलसी) थीं। थोड़ी-सी जमीन में धान की फसल ली जाती थी और थोड़ा-बहुत तिल भी उगाया जाता था। अब गाँव में खरीफ और रबी दोनों ही फसलें उगायी जाती हैं। गर्मी में भी कुछ हरी-भरी धरती देखने को मिलती है और कुछ तरकारियाँ भी प्राप्त होती रहती हैं। मकई और तीसी के अलावा आलू, गेहूँ, मिर्च, बैंगन, टमाटर, गोभी, प्याज आदि फसलें भी ली जाती है।

सिंचाई और आलू की बोआई

करीब ४० एकड़ जमीन में सिंचाई की व्यवस्था

हुई है। इनमें से २५ एकड़ जमीन में दो फसलें तथा बाकी १५ एकड़ जमीन मे तीन फसलें प्रतिवर्ष ली जाती है। इस जमीन मे सघन खेती होती है। सन् १९६४ मे गाँव के किसान श्री फागोसिंह ने सघन खेती का एक नमूना पेश किया। मक्का और आलू की दो फसलें लेने के

सिंचित फसलें

बाद उन्होंने अपने खेत में गेहूँ बोया। और गेहूँ की फसल भी इतनी अच्छी हुई कि उसको देखने के लिए आसपास

के किसान आते थे और मुग्ध हो जाते थे। इस खेत ने गेहूँ का बढिया फसल निकालने के लिए प्रखण्ड फसल प्रतियोगिता मे प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया।

ग्रामदान के पूर्व गाँव में लगभग ४०० मन अनाज व महुआ पैदा होता था। इस वर्ष (सन् १६६५) ३०० मन धान, २०० मन मकई, १५० मन गेहूँ, १५० मन अरहर, ५० मन चना, ५० मन कुलथी व तिल और ७५ मन महुआ हुआ। इस प्रकार पिछले ४०० मन के मुकाबले सन् १६६४ मे लगभग १००० मन अनाज पैदा हुआ और अनाज के अलावा १२०० रुपये का आलू तथा ५०० रुपये की मिर्च हुई। पहले का उत्पादन सिर्फ चार महीने के लिए ही पूरा हो पाता था, बाकी ८ महीनो के लिए जगली जानवरो, पालतू जानवरो को खाने के अलावा पेडो की जडो और पत्तो पर आधार रखना पडता था। उसमे भी कमी पडती थी तो जगल की लकडी बेचकर, कुछ मजदूरी करके काम चलाना पडता था। अभी १०-११ महीने के लिए अनाज होने लगा है।

प्रकट है कि गाँव अभी भी अपनी खाने की आवश्यकताओ के बारे मे स्वावलम्बी नहीं बन सका है। लेकिन जिस गति से उत्पादन बढा है, उससे विश्वास होता है कि अगले दो-तीन वर्षो मे गाव न सिर्फ स्वावलम्बी बन सकेगा,

वरन् अपने अतिरिक्त उत्पादन को बेचकर अपनी अन्य जरूरतें भी पूरी कर सकेगा।

गाँव मे महुए के बहुत-से पेड हैं। महुआ चुनने का काम सामूहिक रूप से किया जाता है। आधा महुआ उन लोगों को, जो चुनने का काम करते हैं, मजदूरी के रूप में दे दिया जाता है। बाकी आधा सारे परिवारो मे समान रूप से बांट दिया जाता है।

अनाज का उत्पादन बढ़ने के साथ-साथ दूध का उत्पादन भी बढ़ा है। गांव के चारो ओर जंगल है और गांव में सिचाई होने के कारण कुओं के चारों ओर की जमीन में, तालाब के आसपास व सिंचाई की नाली के दोनो ओर हरी-हरी घास बढ़ती रहती है। इस परिस्थिति मे गो-पालन के विकास के लिए काफी गुञ्जाइश है।

पहले गांव में गाय-भैंस मिलाकर कुल ८० जानवर थे। इस बीच इनकी संख्या १२७ हो गयी है। इनमें हरियाना नस्ल की ४ गायें हैं, कुछ अच्छी भैंसें हैं, कुछ सुधरे किस्म की मुर्गियां भी लायी गयी है। इस प्रकार गांव में दूध और अण्डों का उत्पादन बढा है। अनाज और महुआ खाने के साथ-साथ अब बच्चों को दूध, अण्डे और तरकारियां भी मिलने लगी है और इसका असर स्वास्थ्य पर

निश्चित ही दिखायी पड़ेगा । बच्चों का स्वास्थ्य सुधरेगा और नयी पीढी सबल बनेगी ।

गाँव मे पहले २३ जोड़े बैल थे । जब सब परिवारों को जमीन बाँट दी गयी तो बैलों की कमी हो गयी । ७ बैल सर्व सेवा संघ की ओर से गाँव ने प्राप्त किये । एक बैल गांधी निधि ने, दो बैल कल्याण-विभाग ने उनको दिये और तीन-चार जोड़े बैल उनको अपने घर की गायों से मिल गये । इस प्रकार अब प्रत्येक परिवार के पास एक-एक जोड़ी बैल है और इस वजह से भी गाँव का उत्पादन बढ़ाने में मदद मिली है ।

गाँव का उत्पादन बढ़ा है । परिवारों को आमदनी बढी है । कुछ मकानों के छप्पर उतर गये है, उनकी जगह टाइल्स ने ले ली है । और जिस प्रकार सूखी धरती ने हरा परिधान पहना है, उसी प्रकार नंगे शरीरों पर भी कुछ सफेद वस्त्र दिखाई देने लगे है ।

कुटेव और कुरीतियों से टक्कर : ४ :

हम कह आये है कि इस गाँव मे आदिवासी हरिजन लोग बसते हे । इनका रहन-सहन बहुत ही आदि किस्म का रहा है । न ये लोग नहाते थे, न कपड़ों की सफाई की जरूरत महसूस होती थी । पढ़ाई-लिखाई का अभाव, शराब तथा

अन्य व्यसनोंकी भरमार, लडाई-झगडा, व्यभिचार और गाली-गलौज यही था इनका सास्कृतिक जीवन। इस स्थिति मे बहुत सुधार हुआ है, यह तो नही कह सकते। इनका सास्कृतिक उत्थान हुआ है, यह कहना एक बड़ी बात होगी। अनुभव ऐसा आया है कि आदते बहुत धीरे-धीरे बदलती है। व्यसन छुडाये नही छूटते और गिरा हुआ चरित्र आसानी से साथ नही देता। ये सब समस्याएँ इस गाँव के विकास के मार्ग मे बाधक बन रही है और जब हमारे कार्यकर्ता इस पहलू की तरफ देखते है तो बडी निराशा का सामना करना पड़ता है।

किसीकी लडकी या किसीकी औरत पर कोई अत्याचार कर बैठता है और यह गाव मे आपसी झगडे का कारण बन जाता है। कोई शराब पीकर मस्ती मे आ जाता है, तो अपने को थोड़ी देर के लिए ही क्यो न हो, दुनिया का बादशाह समझने लगता है। और तब जो सामने दिखायी पड जाय, उस पर गालियो की बौछार, गंदी-गंदी बाते कहना और घर मे जाकर किसी छोटे-से बहाने को लेकर औरत और बच्चो को बुरी तरह पीट देना, इस प्रकार के दृश्य जब इस गाँव मे दिखायी देते है, तो मन को अफसोस होता हे और निराशा भी होती हे। गाँव का सामाजिक जीवन अभी भी गदगी से भरा है। लेकिन गौर से देखे

और आज की जिंदगी को १० साल पहले की जिंदगी से मिलायें तो आशा की अनेक किरणे प्रस्फुटित होती दिखायी देती हैं।

उदाहरण के लिए कहे तो पहले गाँव के शत प्रतिशत लोग शराब पीते थे। आज १०० लोगो मे से ४० लोग ही शराब पीते होगे, वह भी मुँह छिपाकर। गाँव मे एक मूल्य स्थापित हो गया है कि शराब पीना बुरी चीज है। जो लोग पीते है वे बुरा काम करते है और जब इस बुराई का एहसास गाववालों को हो गया है तो जल्दी ही एक दिन वे इस व्यसन से छुटकारा पा जायेगे और इस प्रकार गाँव मे व्यभिचार तथा गाली-गलौज का वातावरण कम होता जायगा।

पहले गाँव मे पीने के पानी की भी कमी थी, इसलिए नहाने का रिवाज करीब-करीब नही के बराबर था। कपडे तो एक बार पहनने के बाद फटने पर ही शरीर पर से उतरते थे। लेकिन अब गाँव मे १० कुएँ हो गये हैं। इसका परिणाम उनकी नहाने-धोने की आदतो पर सहज ही दिखाई देता है। गाँव में से अधिकतर लोग अब रोज नहाते हैं। रोज धोकर कपडा पहननेवाले भी गँव में अनेक हो गये हे और बच्चो मे तो यह आदत धीरे-धीरे जड जमाती जा रही है। स्कूल के द्वारा बच्चो को जो शिक्षण दिया जाता है,

समे वच्चो की शारीरिक सफाई पर भी ध्यान रखा जाना । उनके नाखून कटे है कि नहो, कपडे मे से गव तो नही ा रही है, वालो की सफाई की है कि नही, स्नान किया कि

पुराना रूप—फूस की झोपडियाँ

नही इत्यादि इन सब वातो को शिक्षक लोग देखते रहते है, इसलिए वच्चे साफ रहने लगे ह । इस प्रकार स्वास्थ्य और सफाई का विचार आवश्यक रूप से गाव मे फैल रहा है ।

गाँव की पुरानी आवादी इस प्रकार से वसी थी कि उसमे अधिक सफाई की व्यवस्था सम्भव ही नही थी ।

कच्चे फूस की झोपडियाँ, क के साथ एक सटी हुई और बीच मे छोटी-छोटी गलिया। अब इस बस्ती से थोडी दूर दो लाइनो मे नये घर बनाये जा रहे हैं। घरो की दो लाइनों के बीच चौडी सडक । घरो में प्रकाश व हवा की अच्छी व्यवस्था है। छते फूस की जगह कवेलुओ की बनेगी।

झोपडिया का रूपान्तर नये घरा म

गाँव मे एक प्राथमिक पाठशाला खुली है। एक वरीय आवासीय विद्यालय भी हो गया है। आसपास के बच्चे छात्रावास मे आकर रहते ह। यह छात्रावास विशेष रूप से,

हरिजनों के लिए है। इन बच्चों को वहाँ रखकर उनको पढ़ना-लिखना सिखाने के साथ-साथ जो खास उपलब्धि होती है, वह है उनमें क्रमिक चारित्रिक सुधार और यह गाँव की एक ठोस पूँजी बनेगी, ऐसा हमारा विश्वास है। जो बच्चे छात्रावास मे दाखिल नही हो सके है, वे रोज पढ़ने के लिए आते हे और उनके पढ़ने-लिखने की व्यवस्था प्राथमिक पाठशाला में होती है। पाठशाला में मनफर के अलावा अन्यान्य गांवो के बच्चे भी पढने आते है।

ग्रामदान के पूर्व मनफर में कोई पढ़ा-लिखा व्यक्ति नही था। सिर्फ तीन व्यक्ति हस्ताक्षर करने का काम कर लेते थे। अब २० लोग थोड़ा-बहुत पढ़ने-लिखने का काम कर लेते हे। अन्य १० लड़के प्रतिदिन पढ़ने आते है। परन्तु पढ़ने मे जितनी रुचि होनी चाहिए, उतनी रुचि अभी तक जगी नही है।

ग्रामदान की शक्ति : ५ :

जो लोग गरीब हे, अनपढ़ है, भयभीत है, वे ही लोग अपनी शक्ति का एहसास करके थोड़ा-सा संगठन कर उठ खड़े होते हे। वे कितने निडर बन जाते है, इसका जीता-जागता उदाहरण है मनफर गांव। एक पटवारी और जमींदार के दो गुमाश्ते आकर इन गाँववालों पर मनमाना

अत्याचार कर सकते थे, किसी गरीब की मुर्गी पकड़ ली, उसको चट कर गये। बकरी को काट डाला और दावत हो गयी, दस-बीस लोगों को पकड़ लिया और मनमानी बेगार करवा ली, इस तरह के अत्याचार आये दिन होते रहते थे। और ये भीरु लोग सब कुछ चुपचाप सह लेते थे या तो जान बचाकर जंगल की ओर भाग जाते थे। गाँव में एक सफेदपोश को देखते ही गाँव के बलिष्ठ-से-बलिष्ठ लोग कायर की तरह जंगलों में भागकर छिप जाते थे। वे ही लोग आज संगठित होकर ग्राम-स्वराज्य का नारा लगाते है और बड़े-से-बड़े अत्याचारी के सामने डट जाते है। पुलिस के आफिसर की, जमीदार के गुण्डों की क्या मजाल, जो गाँव मे बुरी नीयत लेकर एक मिनट के लिए भी ठहर जाय।

एक-दो साल पहले की बात है—इस इलाके में एक ठीकेदार था। कहने को तो ठीकेदार था, लेकिन उसका मुख्य धंधा डकैती था और वह डकैतों का सरदार ही था। किसीको पीट देना, किसीका कत्ल करवा देना, किसीका सामान उठवाकर ले जाना, यह उसके बायें हाथ का खेल था। लोग उससे थर-थर काँपते थे। उसी आदमी ने मनफर के आसपास के जंगल मे महुए का ठीका लिया और इस ठीके के बहाने वह गाँव के महुए के

पेड़ों का भी महुआ चुनवाने लगा। यह गाँववालों पर खुला अत्याचार था। किसीकी क्या मजाल, जो उसको रोके। वह अपने को बादशाह ही समझता था।

गाँववालों ने सभा की और तय किया कि हम सब लोग जाकर सामूहिक रूप से अपने गाँव के पेड़ों से महुआ चुनेंगे। निडर होकर शान्ति मे रहेंगे, लेकिन उस ठीकेदार का अत्याचार नहीं चलने देंगे। गाँव के लोग महुआ चुनने लगे। ठीकेदार ने उनको ललकारा और डाँटने, डराने और धमकाने की कोशिश की। दो-चार लोगों को पिटवा भी दिया, लेकिन गाँववाले शांति के साथ डटे रहे, अपना महुआ चुनते रहे। सर्वोदय-कार्यकर्ताओं का भी उन्हें बल मिला और आखिर में इस संगठन के आगे वह ठीकेदार हार गया। उसने आकर माफी भी माँग ली। इस घटना का परिणाम दूर-दूर तक हुआ। अब इन लोगो को सताने की हिम्मत कोई नही करता।

मनफर का एक किसान है फागोसिंह। उसके बारे मे हम कह आये है कि पिछले साल उसने गेहूँ की सुन्दर फसल उगायी और उसको सबसे अच्छा गेहूँ उगाने के लिए प्रखण्ड प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला। यह किसान डटकर काम करता है। सिर्फ खेत में ही नहीं, सामाजिक कामों में भी आगे बढ़कर हिस्सा लेता है। एक जमाना था,

जब फागोसिह पुराने जमीदार के सामने पडोसी गावो के छोटे-मोटे जाति-नेताओ के सामने जाते हुए भी घबडाता था। लेकिन धीरे-धीरे वह स्वय ही एक नेता बन गया है और इन लोगो को पीछे छोडकर वह अपनी अचल पचायत का सरपच बन गया है। इन पुराने नेताओ से जनता तग आ चुकी है और फागोसिह के नये नेतृत्व में आशा की झलक दिखायी देने लगी है।

फागोसिह जैसे अन्य चार-पॉच ग्राम-नेता मनफर मे तैयार हो रहे हे। ग्राम-नेतृत्व और निर्भयता यह गॉव की सबसे बडी प्राप्ति कहे तो गलत नही होगा। ये लोग अपने गाव की योजना मजूर करवाने के लिए ब्लाक आफिस मे जा सकते हैं। सहकारी बैंक मे जाना हो, कलेक्टर से मिलना हो, थाने का कोई काम हो, फारेस्ट गार्ड का कोई शिकायत हो, तो सब काम निर्भयता से कर लेते है। जगल से जलावन के लिए कोई लकडी लाये, बाँस लाये—इन सब कामो के लिए फारेस्ट गार्ड को रिश्वत दे देने से काम चल जाता था। ग्रामदान के बाद जब इन लोगो ने रिश्वत देना बद कर दिया, तो इनको जलावन मिलना भी बद हो गया। लेकिन सामूहिक शक्ति के आगे यह अत्याचार भी बद हुआ है। फारेस्ट गार्ड की मनमानी नही चलती। उसको रिश्वत भी नही देते, तो भी कानूनन् जो जगल के

अधिकार गाँववालो को प्राप्त हैं, जलावन आदि सुविधा गाँववालो को मिलती रहती है ।

जब कोई समस्या आती है, गाँव के विकास के लिए कोई योजना बनानी होती है, तो गाँव के सब लोग मिल-कर बैठने है । ग्रामसभा की बैठक होती है और क्या करना

मनफर ग्रामसभा

चाहिए, इसके बारे मे निर्णय लिये जाते है । ग्रामसभा सिर्फ नामभात्र के लिए नही है । वह वास्तव मे कार्यशील है और भविष्य मे क्या करना है, इसके बारे मे महत्त्वपूर्ण

निर्णय लेती रहती है। गाँव में तालाब बनाना है, नदी पर बाँध बाँधना है, कुएँ खोदने है, जमीन की गेड़ाबंदी करनी है, स्कूल के लिए जमीन देनी है, गोशाला के लिए इमारत बनानी है—इस प्रकार के अनेक निर्णय ग्रामसभा ने लिये है।

इन निर्णयों के चलते हजारों रुपयों का श्रमदान गाँववालों ने किया है और गाँव का उत्पादन ढाईगुना तक बढ़ाया है। आर्थिक विकास के अलावा कुछ सामाजिक विकास के महत्वपूर्ण निर्णय गाँववालों ने लिये हैं। गाँव का कोई भी लड़ाई-झगड़ा कचहरी में नही जाता है और इस प्रकार गाँव मुकदमेबाजी से पूर्णतया मुक्त है।

गांव में पहले जो शादियाँ, श्राद्ध आदि उत्सव होते थे, उनके लिए गाँववाले महाजनों से कर्ज ले आते थे और इस प्रकार उनका कर्ज बढ़ता जाता था। इस दुःख को मिटाने के लिए उन्होंने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। गाँव में किसी भी लड़की या लड़के की शादी हो, किसीके माता या पिता का श्राद्ध हो, वह गाँव का उत्सव होगा और गाँव के लोग सामूहिक रूप से मिलकर उसे करेंगे। इस काम के लिए जिसके घर उत्सव होगा, उस घर को हरएक परिवार से ३ सेर चावल, ३ पाव दाल, सब्जी तथा नकद १) रुपया दिया जायगा। उत्सव के साज-

सामान के लिए जो कुछ अधूरा रहेगा, उसको सब लोग मिलकर पूरा करेंगे। इस प्रकार शादी या श्राद्ध का बोझ किसी एक परिवार पर नही पड़ता और उसको इस काम के लिए कर्ज भी नही लेना पड़ता। इस प्रकार विना कर्ज लिये सामूहिक प्रयत्न से गाँव ने २० शादियों और १० श्राद्धों का बोझ हँसते-खेलते उठा लिया है।

क्या ही अच्छा हो, यदि भारत के हरएक गाँव में शादी, श्राद्ध और ऐसे अन्य उत्सवों के बारे में ऐसा ही नियम बना दिया जाय और किसीको खुशी का उत्सव करने के लिए कर्ज का दुःख न सहन करना पड़े। हमको विश्वास है कि मनफर का यह उदाहरण अनुकरणीय बनेगा और इसका प्रचार दूर-दूर तक होगा।

कुछ सामूहिक संस्थाएँ : ६ :

सर्वोदय सहयोग समिति

मनफर गाँव में एक सर्वोदय सहयोग समिति की स्थापना की गयी है। इसका रजिस्ट्रेशन सन् १९५४ में किया गया। आज इसकी शेयर पूँजी ग्यारह सौ रुपये है और सदस्य-संख्या ३२ है। गाँव में कर्ज का लेन-देन करीब-करीब इसी समिति के मार्फत होता है। पिछले वर्ष सन् १९६४ मे इस समिति के मार्फत १२०० रुपये का कर्ज

गाँववालों को दिया गया, जो उन्होंने वापस किया। इस साल (सन् १९६५) ३०८० रु० का और कर्ज गाँववालों को दिया गया है और आशा है कि समय से पहले ही इसको वापस कर सकेंगे। इस समिति का संगठन अच्छी तरह चल रहा है और जहाँ तक कर्ज वगैरह देने का सवाल है, वह सरकारी नियमों के अंतर्गत व्यवस्थित रूप से चल रहा है।

स्कूल

ग्रामदान के पूर्व मनफर मे कोई स्कूल नही था। आज इस गाँव में एक प्राइमरी पाठशाला है और एक वरीय आवासीय विद्यालय की स्थापना की गयी है। इस काम के लिए गाँववालों ने १६-१७ एकड़ जमीन स्कूल के लिए दान की है।

आवासीय विद्यालय के पीछे बच्चों का संस्कार परिवर्तन करने की एक कल्पना है। उनकी एक दिनचर्या बने, वे नहाने, धोने तथा सफाई की आदतें सीखें। खेती, गोशाला, वस्त्र-विद्या व अन्य उद्योगों का वैज्ञानिक प्रशिक्षण लें। ये लोग समाज की समस्याओं व उनके हर सम्भव हल के बारे में चर्चा करें। बच्चे अपनी पार्लियामेंट चलायें, इस प्रकार उनका गणतंत्र में प्रशिक्षण हो। ये ही युवक आगे चलकर ग्रामनेता बनेंगे। इन बच्चों के माध्यम से ही

पालकों का भी प्रशिक्षण व सुधार किया जा सकेगा। पालकों की सभाएँ बुलायेंगे, विभिन्न समस्याओं पर चर्चा करेंगे। वे लोग विद्यालय की सुधरी हुई खेती तथा उद्योगों से व्यावहारिक प्रेरणा हासिल कर सकेंगे। इस प्रकार का विचार मन में रखकर इस आवासीय विद्यालय का प्रारम्भ किया गया है।

आदिवासी स्कूल सेक्रेटरी, शिक्षक और विद्यार्थी

आसपास के हरिजन बच्चे इस आवासीय विद्यालय में आकर रहते हैं और पढ़ते हैं। अन्य बच्चे प्रतिदिन आकर

प्राइमरी पाठशाला में शिक्षण पाते है। इस प्रकार से आस-पास के गाँव के बच्चों के लिए शिक्षण की व्यवस्था मनफर गाँव ने की है।

गोपाल मंदिर

यह आदिवासियो का इलाका है और तरह-तरह के अंध-विश्वास तथा रूढ़ियाँ यहाँ के जनमानस को जकड़े हुए है। कोई बीमार हुआ तो भूत-प्रेत की उपासना की जाती है, झाड़-फूँक की जाती है और धर्म के नाम पर अनेक प्रकार के अंध-विश्वास गाँव मे प्रचलित है। गाँव को कुछ अच्छे संस्कार मिल सकें, इस खयाल से श्री जयप्रकाश नारायण के द्वारा इस गाँव में एक गोपाल मन्दिर की स्थापना की गयी है। इस मन्दिर में समय-समय पर गाँव के लोग भजन-कीर्तन के लिए इकट्ठा होते हैं और तरह-तरह के सांस्कृतिक कार्यों का आयोजन इसके मार्फत होता रहता है।

सर्वोदय आश्रम : ७ :

हम लिख आये हैं कि मनफर का ग्रामदान होने के तुरंत बाद एक सर्वोदय आश्रम की स्थापना गाँव में की गयी। इस आश्रम मे आज तीन-चार कार्यकर्ता रहते हैं

और अन्य चार-पाँच कार्यकर्ता इस गाँव को केन्द्र मानकर मनफर के पूरे क्षेत्र मे घूमते रहते है। ये लोग गाव के

मनफर का सर्वोदय आश्रम

सलाहकार के रूप में काम करते है। इनके पास किसी शासन की सत्ता नही है। ये लोग जन-सेवक के रूप मे ही गाँव में काम करते हैं। जनसेवा के क्या काम ये लोग करते हैं ?

इनका सबसे बडा काम है ग्रामदान की पुष्टि। जिन गाँवो ने ग्रामदान की घोषणा की है, उन गाँवो के समर्पण-

पत्र लिखे गये है कि नही, गाँव में ग्रामसभा बन गयी है कि नहीं, जमीन का बीसवाँ हिस्सा सब भूमिहीनों को मिल गया है कि नही, ग्रामकोष की स्थापना हो चुकी है कि नहीं— इन सब कामों में ये लोग ध्यान देते है और जिन गाँवों ने ये शर्तें पूरी नही की है, उन गाँवों को उक्त शर्तें पूरी करने में ये लोग मदद करते है। आवश्यकता होने पर उनकी शंकाओं का निवारण करते हैं, उनको ग्रामदान की बातें समझाते है।

इनका दूसरा काम है ग्राम-सभा को मजबूत बनाना। ये लोग इस बात का खयाल रखते हैं कि ग्रामसभा समय-समय पर मिलती रहे और गाँव की उन्नति के लिए आवश्यक निर्णय लेती रहे। श्रमदान से कुएँ खोदने है, तालाब की मरम्मत करनी है, जमीन की बंडिग करनी है, सामूहिक जमीन को जोतना है और बोना है, समय पर खाद और बीज लाना है आदि निर्णय समय पर लेने में ये आश्रमवासी गाँव की मदद करते है। यदि ग्रामसभा के लोग सोने लगें तो उनको कभी-कभी झकझोरने, जगाने का काम भी ये लोग करते हैं। कभी-कभी ये लोग खुद ही निर्णय ले लेते हैं और गाँववालो के अभिक्रम पर इस प्रकार चोट पहुँचती है। लेकिन फिर ये सँभल जाते है और गाँववालों को ही अपना निर्णय लेने के लिए छोड़ देते हैं।

कभी-कभी जब गाँव के लोगो में झगडे होते हैं और ग्रामसभा उसको आपस मे निपटा नही पाती, तो विशेष निमन्त्रित पञ्च की हैसियत से भी ये लोग काम करते है। सिर्फ मनफर ग्राम का ही काम ये लोग नही करते, वरन् आसपास के अन्य ग्रामदानी और अग्रामदानी गाँवो में भी सामूहिक अभिक्रम जगाने का काम भी करते हैं। कभी-कभी दो गाँवो मे झगडे हो जाते हैं और वे प्रतिवर्ष बढते रहते हे। तब ये लोग बीच में पडकर उनको सुलझाने का काम भी करते हें। एक गाँव मे दो गोतियो के बीच मकान के अन्दर की २।। डिसमल जमीन को लेकर मुकदमा चलने लगा। इस मुकदमे ने भयंकर रूप धारण किया। आपस में मारपीट भी हुई। १० हजार रुपये मुकदमे में खर्च हो गये और व्यक्तियो मे समझौता हो नही सका। इस गाँव का ग्रामदान हुआ और कार्यकर्ताओ के प्रयास से यह झगडा बिना पैसे के सुलझ गया। इसी प्रकार एक गाँव में रहने-वाले एक मालिक की जमीन दूसरे गाँव मे थी। उस जमीन पर उसके एक गोती का कब्जा था। दो रिश्तेदारो में झगडा होने लगा। मुकदमे में १२०० रुपये खर्च हो गये, लेकिन उसका हल नही निकला। आश्रम के कार्यकर्ताओ के प्रयास से दोनो रिश्तेदारो ने आपस मे सुलह कर ली। कुछ रुपये लेकर जमीन-मालिक ने दूसरे गाँव के अपने

रिश्तेदार को जमीन दे दी और झगडा सुलझ गया। इस प्रकार के अनेक झगडे सुलझाने का काम आश्रम के ये सेवक करते रहते है।

ये लोग गाँव के डॉक्टर का भी काम करते हैं। आम बीमारियो की कुछ पेटेंट दवाइयाँ, मलहम आदि ये लोग रखते है। साँप काटने की दवाई भी ये लोग रखते है। साप की दवाई के लिए आसपास के बहुत-से गाँवो के लोग यहाँ आते है और इस प्रकार की सेवा द्वारा परस्पर प्रेमभाव बढता है।

झगडे सुलझाने के अलावा चरखे का प्रचार, खादी-ग्रामोद्योगो को बढाना, शान्ति-सैनिको का सगठन करना और नये ग्रामदान प्राप्त करना ये सब काम भी ये कार्यकर्ता करते रहते है और इन सब कामो के लिए मनफर केन्द्र के अन्तर्गत नये छह उपकेन्द्र सारे क्षेत्र मे सेवा करने के लिए कायम किये गये हैं। इन केन्द्रो मे लगभग १२ कार्यकर्ता पूरा समय देकर काम कर रहे है।

कुछ असफलताएँ : कुछ सबक : ८ :

मनफर में सब कुछ अच्छा हो हुआ है, ऐसा नही है। उसकी कुछ असफलताएँ भी हैं, जिनसे दूसरे गाँववाले कुछ सबक सीख सकते है।

जहाँ तक व्यक्तिगत उन्नति का सवाल है—सब परिवारों की आमदनी बढ़ी है और कुल मिलाकर गाँव का उत्पादन भी बढ़ा है। सामूहिक प्रयास द्वारा भी गाँव में कुछ अच्छे काम हुए हैं। तालाब बनाया गया है, नाले पर बाँध डाले गये है, आठ-दस कुएँ खोदे गये हैं और इसमें बहुत सारा काम सामूहिक श्रमदान से हुआ है। लेकिन गाँव मे कोई सामूहिक उद्योग या सामूहिक खेती का कोई नमूना या अन्य ऐसा धंधा, जिसके लिए कुछ लोगों को सतत मिल-जुलकर काम करना पड़े और उस धंधे की आमदनी का या उत्पादन का विधिवत् बँटवारा करना पड़े या उसका हिसाब रखना पड़े, इस प्रकार का कोई काम अभी तक चल नहीं सका है।

गाँव की दूकान

सन् १९५६ में एक सहकारी दूकान की स्थापना की गयी। इसके लिए प्रत्येक परिवार से ५-१० रुपये चंदा करके १५० रु० की पूँजी इकट्ठी की गयी। सर्व सेवा संघ ने २०० रु० की मदद सामूहिक दूकान चलाने के लिए दी। गाँव में जो चीजें आवश्यक होती है—गुड़, आटा, तेल, साबुन तथा अनाज—इस दूकान में रखी गयी। पहले दो वर्ष, जब तक कोई-न-कोई कार्यकर्ता इस दूकान के पीछे

सतत ध्यान देता रहा – दूकान का हिसाब रखने में मदद करता रहा—तब तक यह दूकान बखूबी चलती रही। लेकिन धीरे-धीरे कुछ लोग बिना नकद पैसा दिये सामान उधार ले जाने लगे। उधार ली हुई वस्तुओ का दाम महीना, दो महीना, चार महीना और सालभर वसूल न हो सका। धीरे-धीरे दूकान की अधिकतर वस्तुएँ उधार खाते मे चली गयी। वसूली करने मे कठिनाई होने लगी, हिसाब ठीक तरह नही रखा गया। जो लोग दूकान चलाते थे, उनकी दिलचस्पी घटने लगी और तीसरा साल पूरा होने के पहले ही दूकान बद कर देनी पडी। ऐसा लगता है कि इसप्रकार की दूकान शुरू की जाय, उसके पहले दूकान चलाने-वालो को सम्बद्ध हिसाब का अच्छा अभ्यास करना होगा। जब अधिकतर गाँववालो के दिमाग मे यह बात स्पष्ट रूप से बैठ जायगी कि दूकान सबके फायदे के लिए है, तो उसके द्वारा सब लोग अपनी जरूरत की चीजो को उचित दामो में खरीद सकते हैं। व्यक्तिगत दूकानदारो द्वारा अत्यधिक मुनाफा करके जो शोषण आज गाववालो का होता है, उससे बचने का यह एक सरल और अच्छा मार्ग है। और जब सभी लोग व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से यह तय करेंगे कि हम जो भी सामान लेंगे, उसका दाम तुरत जमा करेंगे, तब ही दूकान चल सकेगी।

वास्तव में दूकान को एक सहकारी खरीद-बिक्री भंडार का रूप लेना चाहिए। जब किसानों के खेत में पैदावार होती है, उनको पैसे की आवश्यकता होती है, तो वे तुरंत अपना अनाज और दूसरी चीजें पास के बाजार में ले जाकर अत्यधिक सस्ते दामों पर बेच डालने के लिए मजबूर होते है। जब उनको खरीदने की जरूरत पड़ती है, तो बाजार में सब चीजें महँगी हो जाती हैं और उनको वही अनाज और दूसरी उत्पादित वस्तुएँ डेढ़गुने दाम में खरीदने पर मजबूर होना पड़ता है। यदि यह खरीदने और बेचने का काम सहकारी दूकान के मार्फत चलेगा, तो ही किसानो का दोतरफा शोषण रुकेगा। यह बात उनकी समझ मे आयेगी और गाँव के एक-दो समर्थ लोग दूकान को सफल बनाने के लिए पीछे पड़ेंगे तो ही वे सफल बनेंगे।

मद्रास प्रांत के कोयम्बतूर जिले के मुलूनूर ब्लाक के गाँवों ने यह काम कुशलता के साथ चलाया है। इस क्षेत्र में २४ ग्राम-भण्डार (दूकानें) है। इन दूकानों में करीब ४० हजार रुपये की पूँजी लगी है और इनका कुल खरीद-बिक्री वर्ष में ८-६ लाख रुपये तक होती है। प्रत्येक दूकान पर उसी क्षेत्र का एक हिसाब सीखा हुआ कार्यकर्ता रखा गया है। उसको दूकान की आमदनी में से ५०-६० रु० प्रति माह वेतन दिया जाता है। ये दूकानें इतनी अच्छी

चलती है कि सरकार ने इस क्षेत्र में राशन सप्लाई की सारी जिम्मेवारी आग्रहपूर्वक इन्ही दूकानों को सौप दी है। इस क्षेत्र का यह अनुभव अन्य क्षेत्रों के लिए अनुकरणीय है।

गोशाला

हम पहले ही लिख आये हैं कि गाँव मे सिंचाई का इन्तजाम होने के कारण तालाब, कुओं तथा सिंचाई की नालियों के आसपास घास-पात वढ़ती रहती है। चारे की दूसरी फसलें जैसे—बरसीम, ल्यूसर्न, ज्वारी, मक्का आदि भी यहाँ उगायी जा सकती है। गोपालन और दूध-उत्पादन का एक अच्छा केन्द्र यहाँ बन सकता है। यह सोचकर सन् १९६४ में 'वार ऑन वांट' फंड की मदद से एक गोशाला की स्थापना करने का तय किया गया। नस्ल सुधार करने की दृष्टि से चार हरियाना गायें गाँव में लायी गयी। ऐसा सोचा गया कि गोपालन का धंधा सामूहिक रूप से चले और गायों को एक सामूहिक स्थान पर रखा जाय। इसलिए गोशाला के लिए एक छोटी इमारत भी खड़ी की गयी। कुछ दिन तक काफी उत्साह रहा। गाँव के प्रत्येक घर से गायों के खिलाने के लिए घास आती थी और बाँटकर दूध लेते थे। लेकिन यह काम बहुत दिन तक नही चल सका। लोग घास देने में आनाकानी करने लगे। काम में अनियमितता करने लगे। इस प्रकार गायों

का दूध सूखने लगा। गोशाला मे घाटा होने लगा और तब गाँववालो की सभा हुई और उन्होने तय किया कि गोशाला हम नही चला सकेंगे। या तो गायें व्यक्तिगत रूप से घरो को बाँट दी जायँ अथवा आश्रम के लोग गोशाला को चलाने की जिम्मेवारी ले ले। तत्पश्चात् आश्रम के लोगो ने गोशाला चलाने की जिम्मेवारी ले ली। गायो की सेवा के लिए ग्रामसभा की राय से गाँव का एक मजदूर नियुक्त किया गया। चारा-दाना गायो को खरीदकर खिलाने लगे। लेकिन उसमे भी कई सवाल उठ खडे हुए। गोशाला में साँड नही था। इसलिए गायो का गर्भाधान समय पर नही हो सकता था। आश्रम के कार्यकर्ता ग्रामदान-आन्दोलन के लिए तथा गाँवो मे निर्माण-कार्य करने के लिए घूमते रहते थे। इसलिए गोशाला की देखभाल भी ठीक नही हो सकी। उसका घाटा बढता ही गया और अंत में उसको बंद कर देना पडा। चार गाये और उनके चार बछडो को ग्रामसभा के निर्णय के अनुसार छह परिवारो मे बाँट दिया गया। आज वे लोग व्यक्तिगत रूप से गायो की देखभाल करते है और उसका दूध आदि भी खुद ही पीते है।

सामूहिक खेती

व्यक्तिगत परिवारो को १६६ एकड जमीन बाँटने के बाद अन्य २६ एकड जमीन सामूहिक खेती के लिए रखी

गयी है। यह तय है कि इस जमीन की पैदावार से जो आमद होगी, वह गाँव की सामूहिक भलाई के कामों में खर्च की जायगी। लेकिन पिछले ११-१२ सालों में से सिर्फ ४-५ साल ही इसमें खेती की जा सकी है। उसकी पैदावार भी बहुत कम हुई है और यह एक प्रकार की असफलता ही मनफर के इतिहास में लिखी जायगी।

अनुभव ऐसा आया है कि सामूहिक श्रम से फुटकर खेती, जिसमें रोज-दर-रोज काम करने की आवश्यकता होती है, वह सफल नही हो पाती। अनाज की खेती, साग-भाजी की खेती सामूहिक जमीनों में सफल नही हो पायी है। लेकिन तमिलनाड़ व असम के कुछ ग्रामदानी गाँवों ने कुछ ग्राम-बगीचे बनाये हैं और उनका अनुभव बहुत अच्छा रहा है। मदुरा जिले में कनवायपट्टी गाँव ने १० एकड़ में नारियल के पेड़ लगाये है। ५-६ वर्ष बाद यह बगीचा उनको कम-से-कम ५-७ हजार रुपया प्रतिवर्ष देता रहेगा। इसी प्रकार आंध्र के कुछ गाँवों में संतरा तथा नीबू के और आसाम के कुछ गाँवों में केला व अनन्नास के बगीचे लगाये गये हैं। गाँव-बगीचे के पीछे यह विचार है कि उसको यदि ४-५ वर्ष सँभाल लिया जाय, तो बाद मे वह बहुत थोड़ी देखभाल से ग्रामसभा को एक निश्चित आय प्रतिवर्ष देता रहेगा। ग्रामसभा को ३-४ हजार रुपये की प्रतिवर्ष

आमदनी हो, तो वह ग्राम-विकास के नये-नये कार्यक्रम उठाती रहेगी। गांव की खेती का सुधार किया जा सकेगा। कुछ नये उद्योग खड़े किये जा सकेंगे और सर्व-हित के अनेक कार्यक्रम उठाये जा सकेंगे।

मनफर-निवासियों की समझ में यह विचार आया है और उन्होंने निश्चय किया है कि अगले वर्ष इस सामूहिक जमीन में एक कुआँ खोदेंगे तथा आम का बगीचा लगायेंगे।

•

भविष्य सुनहरा है : ६ :

मनफर ग्रामदान हुआ, तब लोगों के मन में बहुत-सी शंकाएँ थी। गांव की जमीन चली जायगी, विनोबाजी के लोग गांव की जमीन के मालिक बनेंगे, सबको सिर्फ खाना मिलेगा और बाकी पैदावार विनोबा के आदमी ले जायेंगे। इस तरह की बहुत-सी गलतफहमियां लोगों के मन में थी। आसपास के बड़े किसान, राजनैतिक नेता और महाजनों ने गांववालों को बहकाने की कोशिश की कि अब तुम सब लोग बे-घरबार हो जाओगे, बे-जमीन हो जाओगे और सिर्फ मजदूर बन जाओगे। लेकिन धीरे-धीरे इस प्रकार की सारी गलतफहमियां दूर हो गयी। जैसे-जैसे लोग स्वावलंबन की दिशा में आगे बढ़ने लगे, लोगों की शंकाएँ निर्मूल साबित होती गयी।

मनफर का ग्रामदान हुआ। प्रति व्यक्ति के हिसाब से जमीन का बराबर बँटवारा हुआ। जिन परिवारों के पास ज्यादा जमीन थी, उनको कम जमीन मिली और जिनके पास कम जमीन थी, उनको ज्यादा जमीन मिली। जिस परिवार में जितने अधिक व्यक्ति, उस परिवार को उतनी अधिक जमीन। यह था न्याय का तकाजा और गाँववालों ने यह स्वयं अपनी मर्जी से, न किसी कानून और न किसी जोर-जबर्दस्ती से, बल्कि अपनी खुशी-खुशी किया।

मैं जब गाँव में गया, तो मेघन सिंह की हालत देखने की कोशिश की। उसकी आर्थिक स्थिति पहले से खराब नहीं है, यह बात वह स्वयं ही कबूल करता है। पहले उसके परिवार में ६ सदस्य थे और १३ एकड़ जमीन थी। प्रत्येक व्यक्ति के पीछे लगभग १।। एकड़ जमीन उसके पास थी। अब उसके घर में ५ सदस्य हैं। उसकी बहनों की शादी हो गयी और वे अपने-अपने घर चली गयीं। ५ सदस्यों के पास ४।। एकड़ जमीन है। इसमें से एक एकड तीन-फसली जमीन है और २ एकड़ दो-फसली जमीन है। इस प्रकार कुल बोया जानेवाला क्षेत्रफल ७।। एकड है और हिसाब निकाला जाय तो अभी भी प्रत्येक व्यक्ति के पीछे १।। एकड़ ही जमीन उसके पास है। इसके अतिरिक्त जो कुछ सिंचाई की सुविधा हुई और सिंचाई के

साथ-साथ सुधरे हुए औजार, बीज और खाद का इस्तेमाल खेती में शुरू हुआ, उसके कारण उसका उत्पादन बढ़ा है। ग्रामदान के बाद उसकी गरीबी बढ़ी नहीं है। वह कहता है कि पहले ३ वर्ष ग्रामदान के बाद मुझे लगता रहा कि मुझे घाटा हुआ है, गरीबी बढ़ी है। लेकिन आज १३ वर्ष बाद मुझे लगता है कि मेरी गरीबी नही, अमीरी ही बढ़ी है। इसी प्रकार श्री चमारी सिंह, श्री फागो सिंह और अन्य किसान, जिनके पास अधिक जमीन थी, उनकी भी खुशहाली बढ़ी है।

गाँव की खुशहाली बढ़ी है। जो लोग पहले मक्का, महुआ, अरहर, टेनी, गेंठा, पेड़ों की जड़े खाकर जीवन बसर करते थे, वे अब गेहूँ, ज्वार, चावल, तरह-तरह की सब्जियाँ, दाल और दूध भी खाते हे। यह चमत्कार उनके उन सभी रिश्तेदारों ने देखा है, जो आस-पास के गाँवों में रहते हे और पिछले १० वर्षो में समय-समय पर मनफर गाँव मे आते रहे हे। उन सबके मन में ग्रामदान की प्रतिष्ठा हुई है। ग्रामदान एक अच्छा विचार है, उन्नति का विचार है, यह प्रतीति थोडी या अधिक उन सब गाँवो को हुई है, जिनके लोग मनफर देख आये है या जिन्होंने उन व्यक्तियों से मनफर के विकास की आखों देखी कहानी सुनी है, जिन लोगों ने मनफर गाँव का चमत्कार देखा है, वहाँ के खोदे हुए कुओं को देखा है, बड़े तालाब और

नाले पर बँधे हुए बाँध को देखा है, जिसकी बदौलत आज गाँव मे धान, गेहूँ और तरह-तरह की सब्जियों के हरे-भरे खेत लहलहाते रहते है ।

मनफर गाँव के उदाहरण से दूसरे गाँवों ने प्रेरणा प्राप्त की और धीरे-धीरे इस क्षेत्र में अनेक ग्रामदान हुए । मनफर ग्रामदान ने आज एक आन्दोलन का स्वरूप ले लिया है । लगभग १६० ग्रामदान हो चुके हैं । इसमे से करीब १० गाँव पुराने ग्रामदान है । बाकी के १५० ग्राम अभिनव ग्रामदान है । मनफर क्षेत्र मे ग्रामदान का एक तूफान ही आ गया है और अब लगता है कि जल्द ही बाराचट्टी ब्लाक के अधिकतर गाँव ग्रामदान मे शामिल होकर प्रखण्ड-दान की घोषणा कर सकेंगे ।

अधिक-से-अधिक गाँव इस ग्रामदान-आन्दोलन मे शामिल हो सकें, इसलिए विनोबाजी ने ग्रामदान को सरल कर दिया है और अब सुलभ ग्रामदान करना उतना मुश्किल नही रहा । सुलभ ग्रामदान विचार के मुख्य चार तत्त्व हैं—गाँव की जमीन गाँव मे रहे, किसान की जमीन किसान ही जोते । उसको महाजन या अन्य अनुत्पादक व्यक्ति न हड़प सकें । इसलिए पहला तत्त्व है, जमीन की मालिकी गाँव की और जोतने का अधिकार व्यक्ति का । यदि मालिकी व्यक्तिगत किसान की रहेगी और वह जमीन

को गिरवी रखेगा अथवा वेचेगा, तो उसके वच्चों का भविष्य संकट में पड़ेगा। यह एक खुला सत्य है और इस व्यक्तिगत मालिकी की वजह से किसान-परिवार दुर्भाग्य के शिकार होते रहे है, हो रहे है। किसान-परिवार का यह दुर्भाग्य मिटे, इसलिए ग्रामदान का पहला तत्त्व है, जमीन की व्यक्तिगत मालिकी का अंत और जमीन का खरीदने-वेचने का काम सिर्फ ग्रामदान-परिवार के भीतर। कोई व्यक्ति जमीन वेचना चाहे तो वह उसी गाँव के किसी ग्रामदानी परिवार को ही वेचेगा। किसी महाजन, साहूकार या वाहर के किसी व्यक्ति और गाँव के भीतर के अग्रामदानी व्यक्ति को नहीं वेचेगा। उसकी जमीन सुरक्षित रहे। जमीन जोतनेवाले के पास रहे, यह विचार इस तत्त्व में समाया है।

ग्रामदान का दूसरा तत्त्व है—ग्राम-सहकार। गाँव के सब वालिग व्यक्ति मिलकर एक ग्रामसभा का निर्माण करें और ग्रामसभा सभी की उन्नति के लिए सर्वसम्मति से निर्णय ले, यह है सुलभ ग्रामदान का दूसरा तत्त्व।

मजदूर और मालिक में प्रेम हो, तभी सहकार पनप सकेगा। इसलिए ग्रामदान की तीसरी शर्त है कि प्रत्येक भूमि-मालिक अपनी जमीन का २०वाँ हिस्सा गाँव के किसी भूमिहीन के लिए दान दे। यदि गाँव यह शर्त कवूल

करेगा, तो गाँव मे परस्पर एक दृढ भाईचारा बनेगा और गाँव सामूहिक उन्नति के लिए मजबूत कदम उठा सकेगा।

सामूहिक उन्नति के लिए गाँव के सब लोग मिल-जुलकर जो योजना बनायेगे, उसको अमल मे लाने के लिए कुछ धन की आवश्यकता जरूर पडेगी। इसलिए ग्रामदान की चौथी शर्त यह है कि प्रत्येक किसान अपने उत्पादन का ४०वाँ भाग ग्रामकोष को दे और अन्य सभा व्यक्ति अपनी आय का ३०वाँ भाग यानी महीने का एक दिन का वेतन या मजदूरी ग्रामकोष में जमा करे। इस कोष का विनिमय ग्रामसभा सामूहिक उन्नति के लिए सर्वसम्मति से करे। यह ग्रामदान का चौथा मुख्य तत्त्व है।

आपके गाँव का ग्रामदान होगा, तो आप अपने गाँव मे अपना राज कायम कर सकेंगे। गाँव मे ग्राम-स्वराज्य की स्थापना यह है विनोबा का आवाहन और अब तो विनोबा ने तूफान ही शुरू कर दिया है। ग्रामदान-आन्दोलन तूफानी ताकत से आगे वढ रहा है। कही आप पिछड न जायें। मजबूत दिल से और जल्द ही ग्रामदान का निर्णय लीजिये और गांव मे ग्राम-स्वराज्य लाने के लिए प्रण कीजिये। हम सब ग्राम-स्वराज्य का प्रण करे। सुनहरा भविष्य हमारी राह देख रहा है।

•

मनफर गाँव : कुछ तथ्य

१. नये मकान

१० मकान बन गये हैं। १० मकान १९६६ के अंत तक बन जायेंगे और १२ नये मकान १९६७ में बनेंगे।

२. स्कूल

इस गाँव में ग्रामदान के पहले एक भी पढ़ा-लिखा आदमी नहीं था। सन् १९६२ में प्राइमरी स्कूल की स्थापना हुई। आज उसमें ३५ बच्चे शिक्षा पा रहे हैं।

जनवरी १९६५ में एक आदिवासी आवासीय विद्यालय बना, जिसमें ६० बच्चे शिक्षा पाते हैं।

३. सहकारी दूकान

सन् १९६६ में १२०० रु० की पूँजी से एक सहकारी दूकान खोली गयी। दूकान पर प्रति माह १५०० रु० की बिक्री होती है। इसके द्वारा विद्यालय को और गाँव को अनाज, भाजी, किताब-कापी स्टेशनरी आदि की सप्लाइ की जाती है।

४. गेड़ावन्दी (वगिंडग)

सन् १९६५ की फरवरी में भूमि-सुधार और गेड़ावन्दी की योजना शुरू हुई। सन् १९६६ तक १५० एकड़ जमीन की वगिंडग हो चुकी है।

१०० एकड़ पड़ित जमीन का भूमि-सुधार हुआ। उसमें अब कास्त होती है।

५. तालाब

सन् १९५४ में एक आहर बनाया गया, जिससे १५ एकड़ जमीन की सिंचाई होती है।

सन् १९६० में किसानों ने छोटे-छोटे तीन आहर बनाये, जिससे १० एकड़ जमीन की सिंचाई होती है।

सन् १९६५ में एक और तालाब बना, जिससे २० एकड़ जमीन की सिंचाई होती है।

६. कुएँ

सन् १९५७ में ४, सन् १९६३ में २, सन् १९६० में २, सन् १९६५ में २, सन् १९६६ में २ कुओं का निर्माण हुआ। कुल १२ कुएँ बने हैं। १० कुएँ पक्के बन चुके है। इन कुओं द्वारा लगभग २५ एकड़ जमीन की सिंचाई होती है।

आठ कुओं पर बिजली पम्प लगाया जा रहा है। सन् १९६६ के अंत तक मोटर-पम्पों के द्वारा सिंचाई होने लगेगी।

प्रगति के आँकड़े

पैदावार (मनों में)

	१९५४	'५६	'५७	'६०	'६२	'६४	'६५
धान	१०० मन	१००	१५०	२००	२५०	३००	२००
गेहूँ	—	—	१५०	६०	१००	१५०	२००
मकई	१७५	२००	१७५	७५०	३००	२५०	३००
बूट (चना)	१००	१२५	१००	१२५	१५०	१००	१५०
अरहर	५०	१५०	१००	५०	६०	१५०	१५०
महुआ	५०	६०	७०	७०	१००	१००	१००
आलू (रुपयों में)	—	—	५००·००	४५०·००	५००·००	७००·००	५००·००